न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–04/

विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोण्डा।

उपस्थित– फूलचन्द्र कुशवाहा, {एच०जे०एस०} आई.डी.नं०–यू०पी० 2712

दाण्डिक निगरानी संख्या–110/2025

सीएनआर संख्या. UPGD010010012025

कृष्णदेव तिवारी आयु करीब 32 साल पुत्र रामसुरेश तिवारी निवासी ग्राम इन्द्रापारा देवरदा थाना धानेपुर परगना तहसील व जिला गोण्डा। .....**निगरानीकर्ता**

बनाम

1– सरकार उत्तर प्रदेश

2– प्रीति तिवारी आयु करीब 28 साल पुत्री सुशील कुमार तिवारी निवासी ग्राम हड़हवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा। .....**विपक्षी**

निर्णय

1– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानी/आवेदक कृष्णदेव तिवारी द्वारा परिवाद सं० 7610/2023 प्रीति तिवारी बनाम कृष्णदेव तिवारी आदि में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम गोण्डा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 से क्षुब्ध होकर योजित की गई है जिसके द्वारा विपक्षी कृष्णदेव तिवारी को धारा 498A भा०दं०सं० व धारा 4 डी०पी० ऐक्ट के अन्तर्गत तलब किया गया है।

2– दाण्डिक निगरानी के निस्तारण के लिये सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिनी द्वारा विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय अष्टम अपर सिविल जज महोदय के समक्ष इन अभिकथनों के साथ योजित किया गया कि परिवादिनी का विवाह विपक्षी सं० 1 के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 11.05.2018 को तमन्न हुआ। विवाह में परिवादिनी के परिजनों द्वारा विपक्षी/अभियुक्त को भरपूर दानदहेज दिया गया था किन्तु विवाह के तीसरे वर्ष में जब परिवादिनी बरस्म विदा होकर ससुराल गयी तो वह सभी उक्त दान दहेज से संतुष्ट नहीं दिखे और कहने लगे कि अपने बाप से कहकर दहेज में कम से कम तीन लाख रूपये और दिलाओ वरना यहां तुम्हारा गुजरबसर सम्भव नहीं होगा। परिवादिनी के पिता विपक्षी की उक्त मांग को पूरा नहीं कर पाये तब सभी विपक्षीगण एकराय होकर परिवादिनी को बुरी तरह से उत्पीड़न करने लगे। आए दिन बात–बात पर परिवादिनी को मारा पीटा जाता रहा। नौकरों की तरह घर बाहर का सारा काम कराके बचाकुचा खाना पानी मिलता और कभी कभी तो भूखों ही सोना पड़ता। परिवादिनी के पिता द्वारा कई रिश्तेदारों व सहयोगियों के साथ पहुंचकर विपक्षीगण से इस बावत पंचायत की। मामला पुलिस में भी गया किन्तु इन लोगों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हुआ। दोनों परिवार की मान मर्यादा को देखते हुये परिवादिनी उत्पीड़न को सहन करती रही किन्तु इसी बीच लगभग ढाई महीने पहले विपक्षीगण ने एकराय होकर परिवादिनी को गन्दी गन्दी गालियां देते हुये लात मूकों से मार–पीटकर केवल पहने हुये कपड़ों में अपने घर से भगा दिया गया। पास पड़ोस में लुक छिपकर परिवादिनी ने फोन से इसकी सूचना अपने पिता को दी तब वहां पहुंच कर किसी तरह परिवादिनी को अपने साथ ले आये। परिवादिनी के पति बात–बात पर यह भी ताना देते रहे कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो और घर से निकालते समय यह भी धमकी दिये कि यदि बिना तीन लाख रूपये दहेज दिलाये यहां आयी तो जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। उक्त कथनों के आधार परिवाद प्रस्तुत करते हुए विपक्षी को तलब करते हुए दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

3– निगरानीकर्ता/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.01.2025 कानूनन वाक्यातन गलत एवं ननस्पीकिंग आदेश है। रेस्पाण्डेंट सं० 2 द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कथन किया है कि विपक्षीगण एकराय होकर परिवादिनी को गन्दी गन्दी गालियां देते हुये लात मूकों से मारपीट करके केवल पहने हुये कपड़ों में भगा दिया, पास पड़ोस में लुक छिपकर परिवादिनी ने फोन से इसकी सूचना अपने पिता को दी तब वहां पहुंचकर परिवादिनी को अपने साथ लेकर चले आये" जबकि उसके द्वारा अवर न्यायालय में नियत तारीख पेशी में उपस्थित होकर दिनांक 01.08.2023 को पत्रावली में अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० के तहत तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दर्ज कराये गये अपने बयान "दिनांक 21.11/2022 में मेरे ससुरालवालों ने मुझे अपने मयके भेज दिये मेरे पिता जी लेकर आये थे" उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवादपत्र में लिखित कथन का समर्थन अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. से नहीं कर पायी है फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गम्भीरता से विचार न करके सरसरी तौर पर प्रश्नगत पारित करके महान गलती किया है। परिवाद पत्र में वर्णित किये गये कथन व बयान 200 व 202 दं.प्र.सं. में लिखित कथन का परिशीलन करने पर दोनों में विरोधाभाषी होना पाया जाता है फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने इन सब बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार न करके प्रश्नगत पारित कर दिया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.01.2025 को पारित करने से पूर्व मूल पत्रावली का विधिवत अवलोकन व परिशीलन न करके महज सरसरी तौर पर पारित करते हुये विधिक मस्तिष्क का प्रयोग न करके पारित कर दिया गया है। मूल पत्रावली में कथित घटना में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है जोकि रेस्पाण्डेन्ट सं० 02 द्वारा किये गये कथन का समर्थन किया हो। विद्वान विचारण न्यायालय ने पारित प्रश्नगत आदेश पारित करके माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था का उल्लंघन किया गया है। उपरोक्त तकों के आधार निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.01.2025 को निरस्त करने की याचना की गयी है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में शपथपत्र, आदेश दिनांकित 23.01.2025 की प्रमाणित प्रति व छायाप्रति आधार कार्ड दाखिल किया गया है।

4– विपक्षी सं० 1 उ०प्र० राज्य की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता व विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इन सभी तर्को के साथ प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने की याचना की गई है।

5– विपक्षी सं० 2 प्रीति तिवारी द्वारा निगरानी के विरुद्ध लिखित आपत्ति 9 ख प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विपक्षी सं0–2/उत्तरदाता, निगरानीकर्ता की ब्याहता पत्नी है, बरश्म गौना अब उत्तरदाता मायके से विदा होकर गई तो देखा कि निगरानीकर्ता व उसके परिजन, शादी में उत्तरदाता के परिजनों द्वारा दिये गये दान–दहेज से कतई सन्तुष्ट नहीं थे, गरज कि यह सभी अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे और उसकी पूर्ति सम्भव न हो पाने के कारण तरत–तरह से उत्तरदाता का उत्पीड़न करने लगे। उत्तरदाता द्वारा जब अपने परिजनों को यह सब बताया गया तो कई सम्बन्धियों व सहयोगियों के साथ जाकर निगरानीकर्ता व उसके परिजनों से पंचायत भी किये, मामला पुलिस के समक्ष भी पहुंचा किन्तु निगरानीकर्ता व उसके परिजनों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और फिर एक रोज इन लोगों ने उत्तरदाता को गाली–गुप्ता देते हुए लात–मुक्कों से मार–पीट कर जान से

मार डालने की धमकी देते हुए केवल पहने हुए कपड़ों में अपने घर से निकाल दिया, किसी तरह उत्तरदाता द्वारा इस घटना की सूचना अपने पिता को दी गई तब वह मौके पर पहुंचकर उत्तरदाता की जान–माल की सुरक्षा को देखते हुए अपने साथ लिवा लाये और फिर आखिरकार मजबूर होकर उत्तरदाता को न्यायालय की शरण में आना पड़ा। बादहू अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का सम्यक अनुपालन करने के पश्चात् निगरानीकर्ता के विरूद्ध प्रश्नगत तलबी आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। उक्त कथनों के आधार पर आपत्तिकत्री/वादिनी मुकदमा निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली व आलोच्य आदेश का परिशीलन किया।

6– प्रस्तुत निगरानी के निराकरण हेतु मुख्य अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या आलोच्य आदेश दिनांक 23.01.2025 के निष्कर्ष में शुद्धता, वैधता या औचित्य अथवा कार्यवाही की नियमितता सम्बन्धी किसी त्रुटि के आधार पर हस्तक्षेप किये जाने योग्य है?

7– आपराधिक निगरानी के अन्तर्गत निगरानी न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश की शुद्धता, वैधता, औचित्य और कार्यवाही की नियमितता को देखना होता है। निगरानी न्यायालय, निगरानी के स्तर पर यदि आलोच्य आदेश में विधिक त्रुटि होना पाती है तभी वह विचारण न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसा कि **अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर(2012) 9 एस०सी०सी० 460** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है।

8– पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० में दिये बयान में कथन किया है कि विपक्षीगण मेरे ससुराल वाले हैं। शादी पर विपक्षीगण ने दहेज लिया था। शादी के तीन साल बाद मेरे पति ने तीन लाख रूपये मांगा। मेरे ससुराल वाले तीन साल बाद परेशान करने लगे। खाना पानी दवाई नहीं देते थे। परिवादिनी के बयान से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता परिवादिनी का पति है। निगरानीकर्ता द्वारा परिवादिनी से तीन लाख रुपये मांग की गयी तथा उसे परेशान करने के लिये खाना, दवाई–पानी भी नहीं दिया गया। प्रस्तुत प्रकरण में मूलतः पति–पत्नी के बीच में विवाद परिलक्षित है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य निगरानीकर्ता के विरूद्ध ही परिलक्षित हो रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं Criminal Appeal No. 1277/2014 Arnesh Kumar vs. State of Bihar & Anrs order dated 02.07.2014, Criminal Appeal No. 1265/2017 Rajesh Sharma & Ors vs. State of U.P. & Anr. order dated 27.07.2017 and Criminal Appeal No. 416/2020 Kamlesh Kalra vs. Shilpika Kalra & Ors, order dated 24.04.2020 में अवधारित किया गया है कि दहेज के मामले में पारिवार के सभी सदस्यों को सामान्यतः नहीं तलब किया जाना चाहिए जब तक कि उनकी स्पष्ट भूमिका दर्शित न की गई हो। प्रस्तुत प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा दहेज के रूप में अपनी पत्नी से तीन लाख रुपये की मांग की गयी तथा उसे इसके लिए प्रताणित भी किया गया। ऐसे में निगरानीकर्ती द्वारा दहेज की मांग करने व प्रताणित करने में भूमिका स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त इस मामले की परिस्थितियों में केवल अभियुक्त कृष्णदेव तिवारी (पति) को धारा 498ए भा०दं०सं० व 4 डी०पी० ऐक्ट के अन्तर्गत विचारण हेतु आहूत किया गया है।

9– अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के अवलोकन से विदित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि संगत्त एवं न्यायोचित है। उसमे किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने शुद्ध न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये विधि सम्मत आदेश पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

10– दाण्डिक निगरानी सं० 110/2025 कृष्णदेव तिवारी बनाम उ०प्र० राज्य आदि **निरस्त** की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 23.01.2025 पुष्ट किया जाता है।

11– पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.07.2026 उपस्थित हो।

12– इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

13– निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

sd/–
(फूल चन्द्र कुशवाहा)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–4/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोण्डा।
ID No. UP2712

दिनांक 03.07.2026

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

sd/–
(फूल चन्द्र कुशवाहा)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–4/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोण्डा।
ID No. UP2712

दिनांक 03.07.2026